भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
स्थापना-II

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांकः 16 सितंबर, 2022

## परिपत्र

विषयः संविदा आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परामर्शदाताओं की नियुक्ति।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:

| **क्र. संख्या.** | **पद का नाम** | **पदों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | मुख्य परामर्शदाता | 1 |
| 2 | वरिष्ठ परामर्शदाता | 2 |
| 3 | परामर्शदाता | 4 |
| 4 | इन्टर्न | 1 |
| | **कुल** | **8** |

.2 परामर्शदाता को विभाग में तैनात किया जाएगा। विस्तृत संदर्भ की शर्तें संलग्न हैं। इच्छुक व्यक्ति जो तत्काल रूप से पद को सँभालने की स्थिति में हैं वे 30 सितंबर 2022 के अंदर संबंधित दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रारूप में अपना विवरण "अवर सचिव (प्रशासन), कमरा संख्या- 330 'सी'-विंग, निर्माण भवन" को संबोधित करते हुए "सी.आर. अनुभाग, गेट नंबर- 6, ग्राउंड फ्लोर, निर्माण भवन, नई दिल्ली" में जमा करा दें।

3. हिंदी परिपत्र में किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी परिपत्र का पालन किया जाएगा.

Signed by K Venkatesan
Date: 16-09-2022 17:51:32
Reason: Approved

(के. वेंकटेशन)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्सः 23063514

1. विभाग की वेबसाइट में परिपत्र के प्रकाशन हेतु एनआईसी को प्रतिलिपि
2. नोटिस बोर्ड

ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड.3

## परामर्शदाताओं की निबंधन और शर्तें

### 1. मुख्य परामर्शदाता - स्वास्थ्य मानव संसाधन

**भूमिका और जिम्मेदारियां:**

परामर्शदाता तकनीकी सलाहकार के समग्र पर्यवेक्षण के तहत और निदेशक (एचआरएच) के साथ गहन समन्वय में उपयुक्त रूप में एचआरएच यूनिट के तहत विभिन्न विषयगत क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम और नीतिगत स्तर पर एचआरएच पहलों को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा, परामर्शदाता निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रों पर काम करेगा-

- आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय एचआरएच राज्य साक्ष्य-आधारित नीतियों (माइग्रेशन नीति सहित), एचआरएच शासन ढांचे, विधान, दिशानिर्देशों और एसओपी के विकास के लिए तकनीकी सहायता और कार्यक्रम संबंधी समर्थन प्रदान करना।

- संबंधित हितधारकों के साथ घनिष्ठ समन्वय करते हुए विस्तृत राज्य एचआरएच प्रोफाइलिंग शुरू करके और संकेतकों की नियमित रूप से निगरानी करके भारत में स्वास्थ्य मानव संसाधन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।

- रोग के भार, रुझानों, व्यावसायिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ-साथ नीतिगत निर्णयों के लिए एचआरएच के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए वार्षिक स्वास्थ्य श्रम बाजार विश्लेषण- आपूर्ति और मांग अनुमान (संख्या), प्रशिक्षण आवश्यकताओं (दक्षताओं और कौशल अंतराल) और एचआरएच डेटा विश्लेषण, रोग-भार प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता-आधारित अनुमानों, आवश्यकता-आधारित अनुमानों को समर्थ बनाने के लिए नियामकों और विभागों से सूचना संग्रह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।

- स्वास्थ्य कर्मियों से संबंधित डेटाबेस (जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मियों के खाते) का रखरखाव और उचित अनुमोदन के बाद वार्षिक आधार पर जानकारी को अपडेट करना। डेटा की गुणवत्ता को क्रॉस-चेक करने और विसंगतियों पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय करने के लिए समय-समय पर एचआरएच-आईएस की समीक्षा करना और संबंधित हितधारकों को भी इसके बारे में सूचित करना।

- विनियामक निकायों के साथ निकट समन्वय करते हुए विभिन्न संवर्गों के लिए लाइसेंसिंग प्रणालियों और अभ्यास आवश्यकताओं (नए संवर्ग, कार्य स्थानांतरण की संभावनाओं आदि) के दायरे की समीक्षा करना और साक्ष्य सृजन करके कार्यनीतिगत ढांचे और भर्ती नियमों को विकसित करने में विभागों की सहायता करना।

- एचआरएच योजना और प्रबंधन के मुद्दों को समझने के लिए अध्ययनों को विकसित करने और शुरू करने में सहायता करना।

- संसाधनों को जुटाना, प्रगति की समीक्षा करना और विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में काम निष्पादित करने में सलाहकार टीमों को मार्गदर्शन प्रदान करना।

- ऐसे अन्य कार्य करना, जिन्हें पर्यवेक्षकों द्वारा समय-समय पर सौंपा जाए।

**अर्हता और अनुभव**

- किसी मान्यताप्राप्त और प्रतिष्ठित संस्थान से एमपीएच / एमबीए / पीजीडीएम (स्वास्थ्य या अस्पताल प्रबंधन) / स्वास्थ्य प्रबंधन में स्नातकोत्तर या समकक्ष अधिमानतः पेशेवर और नैदानिक योग्यता के साथ (अधिमानतः चिकित्सा, नर्सिंग, दंत चिकित्सा, या संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्रों में)।
- अर्हता पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में न्यूनतम 12 वर्षों का अनुभव हो जिसमें से स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधन (एचआरएच) को मजबूत करने और नीति विकास, विनियमन और वैधानिक तंत्र की पूरी समझबूझ, स्वास्थ्य परिचर्या कार्यबल वर्गीकरण और हितधारक, एचआरएच कार्यनीतियों और वैश्विक कार्यबल परिदृश्य पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कम से कम 5 वर्षों का अनुभव हो।
- कई हितधारकों के साथ और एक बहु-विषयक टीम परिवेश में काम करने की क्षमता का प्रदर्शन ।
- संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव को उचित वरीयता दी जाएगी।
- भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में उल्लिखित कार्यों को पूरा करने के लिए सुदृढ़ अनुसंधान, विश्लेषणात्मक, लेखन और संचार कौशल के साथ स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूत समझ।

**स्थान**: नई दिल्ली

**पारिश्रमिक सीमा**: 1,20,000/- रुपये से 1,50,000 रुपये प्रति माह के बीच

2. **वरिष्ठ परामर्शदाता - क्षमता निर्माण**

**भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:**

- विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत वर्तमान कार्यरत एवं नए भर्ती मानव संसाधनों के लिए क्षमता निर्माण कार्यनीतियों और कार्यक्रमों की दिशा में इनपुट प्रदान करना।
- मौजूदा कार्यक्रमों में तालमेल बनाने और स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधन का नया संवर्ग बनाने के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करना।
- ऐसी कार्यनीतियों/सुधारों की योजना बनाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ परामर्श बैठकों/प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाना।
- अन्य कार्यक्रम प्रभागों और प्रशिक्षण संगठनों/एजेंसियों के परामर्श से प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास का समन्वय करना।
- ट्रिनिंग अरेंजमेंट सहित क्षमता विकास कार्यकलाप आयोजित करने के लिए एनआईएचएफडब्ल्यू, एसआईएचएफडब्ल्यू और राज्य स्तरीय संस्थानों जैसे भागीदार संसाधन संगठनों के साथ समन्वय करना।
- प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर क्षमता निर्माण में पहल विकसित करने में राज्यों की सहायता करना।
- प्रणाली के भीतर क्षमता निर्माण पहल में तालमेल सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम प्रभाग के साथ संपर्क करना।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए संसाधनों/भागीदारों को जुटाना।
- कार्यक्रम कार्यकलापों संबंधी कार्यशालाओं और प्रशिक्षण में राज्यों को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करना।
- राज्यों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहलों की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करना, जिसमें उनकी प्रभावशीलता भी शामिल है।
- क्षमता विकास पहलों की समीक्षा करने, चुनौतियों की पहचान करने और इन चुनौतियों से निपटने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का आवधिक क्षेत्र दौरा करना।

- कार्यक्रम प्रभाग के संयोजन में एचआरएच के लिए राज्य-स्तरीय मांगों के आधार पर वार्षिक क्षमता विकास अनुसूची के लिए योजना कार्यक्रमों और लागतों का खाका तैयार करना।

- क्षमता विकास के लिए विभिन्न प्रस्तावों और लागत का आकलन करना।

- क्षमता विकास से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) का मूल्यांकन करना। मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने और आवश्यकतानुसार राज्यों को इनपुट प्रदान करने के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संपर्क करना।

- ऐसे अन्य कार्य करना, जिन्हें रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य करना।

**पात्रता**:

- किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से एमपीएच / एमबीए / पीजीडीएम (स्वास्थ्य या अस्पताल प्रबंधन) / स्वास्थ्य प्रबंधन में स्नातकोत्तर या समकक्ष डिग्री अधिमानतः पेशेवर और नैदानिक योग्यता (अधिमानतः चिकित्सा, नर्सिंग, दंत चिकित्सा, या संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्रों में) ।
- अर्हता पश्चात सार्वजनिक स्वास्थ्य / स्वास्थ्य, मानव संसाधन प्रशिक्षण और प्रबंधन, क्षमता विकास कार्यनीतियों के समन्वय, स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं में प्रशिक्षण मॉड्यूल; राष्ट्रीय / राज्य स्तर पर विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य / स्वास्थ्य परिचर्या संवर्ग के प्रशिक्षण का संचालन करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य या किसी अन्य संबंधित सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख तकनीकी संसाधन संगठनों के साथ काम करने का न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव।
- जैसा कि क्षमता निर्माण से संबंधित है, स्वास्थ्य कर्मियों के सभी प्रमुख समूहों के लिए भारत में और विश्व स्तर पर एचआरएच विषयों और नीतियों की ठोस समझ।
- संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव को उचित प्राथमिकता दी जाएगी।
- एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले पैकेजों के साथ उच्च स्तर की जानकारी के साथ कंप्यूटर प्रवीणता।
- अच्छा संचार और प्रस्तुति कौशल, विश्लेषणात्मक और अंतरवैयक्तिक क्षमता तथा अंग्रेजी और हिंदी में अच्छा मौखिक और लिखित संचार कौशल।
- एक बहु-विषयक टीम परिवेश में काम करने की क्षमता का प्रदर्शन।
- क्षमता विकास पहलों की समीक्षा करने के लिए राज्यों की यात्रा करने की इच्छा।
- समय सीमा में कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ विभिन्न असाइनमेंट पर काम करने की क्षमता।

**पारिश्रमिक सीमा**: 90,000 रुपये से 1,20,000 रुपये प्रति माह के बीच।

**स्थान**: नई दिल्ली

3. **<u>वरिष्ठ परामर्शदाता- एचआरएच और मिशन कर्मयोगी</u>**

**<u>कर्तव्यों का विवरण:</u>**

वरिष्ठ परामर्शदाता अनुभागों के साथ निकट समन्वय करते हुए निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रों पर काम करेंगे:

निम्नलिखित के संबंध में साहित्य, नीति और अध्ययन का पर्यवेक्षण और समीक्षा को सक्षम करने पर -

- स्वास्थ्य कार्यबल की आवश्यकता (राष्ट्रीय और वैश्विक), प्रवृत्ति विश्लेषण, कार्य स्थानांतरण और तंत्र साझाकरण, एकीकृत टीम दृष्टिकोण, साक्ष्य तैयार करना और नीति पत्र का मसौदा तैयार करना;
- राज्यों में कार्यबल और क्षमता, सक्षमता और कौशल मिश्रण पर नीति संबंधी नोट्स बनाना;
- विभिन्न स्तरों पर नीति को सुदृढ़ करने के लिए व्यवसाय और व्यावसायिक अभ्यास और मसौदा नीति नोट्स से संबंधित विनियम और नीति;

- निम्नलिखित के संबंध में कार्यबल डेटा (वार्षिक आधार पर) का विश्लेषण -
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में स्वीकृत/ पदस्थापित व्यक्तियों की संख्या
  - पंजीकृत कार्यबल की संख्या - सांविधिक परिषदों/आयोग से
  - वार्षिक आधार पर संस्थान और उनमें दाखिला क्षमता।
  - संस्थानों में शिक्षण संकाय की संख्या के साथ-साथ सभी राज्यों से उनकी विशेषज्ञता
- सर्वोत्तम प्रैक्टिस (नवाचारों सहित) की मैपिंग करना और एचआरएच संकेतकों के आधार पर राज्य रैंकिंग के लिए साक्ष्य प्रदान करना;
- निम्न से संबंधित तकनीकी इनपुट प्रदान करना-

क. विभाग की योजनाओं का कार्यान्वयन, एसएफसी/ईएफसी/ज्ञापन तैयार करना, मंत्रिमंडलीय टिप्पणी का मसौदा तैयार करना, विभाग की विभिन्न योजनाओं पर टिप्पणी;
ख. अभ्यावेदनों, शिकायतों, अदालती मामलों से संबंधित गतिविधियों और आरटीआई आदि पर तकनीकी इनपुट, उन्हें प्रमाणित करना और संबंधित अनुभाग/ प्रभाग को भेजना

- हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करें और तकनीकी चर्चाओं का समन्वय करने
- कार्यबल की मांग और आर्पूति पक्ष में अंतरालों, चुनौतियों और संभावित समाधानों की पहचान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ सहयोग करना।
- क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने और साझा रणनीतिक अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए सांविधिक परिषदों, व्यवसायिक संघों और अन्य संगत हितधारकों के साथ सहयोग करना।
- सौंपे गए कार्य को समय पर और उचित रूप से पूरा करने को सुनिश्चित करना;
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य;

वरिष्ठ परामर्शदाता सयुंक्त सचिव (प्रशा.) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत मिशन कर्मयोगी से संबंधित गतिविधियों के लिए भी काम करेगा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए क्षमता निर्माण योजना की सुचारू शुरुआत, सभी विभागों के लिए फ्रेसिंग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) और डीओपीटी के सभी विभागों सहित संबद्ध हितधारकों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि समुचित और निदेशित है। वरिष्ठ परामर्शदाता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए मिशन कर्मयोगी के तहत कार्यात्मक ज्ञान प्रबंधन और ज्ञान साझा करने के मंच के विकास को भी सुकर और समर्थन देना।

**अर्हता और अनुभव**

- मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित संस्थान से एमपीएच / एमबीए / पीजीडीएचएम (स्वास्थ्य प्रबंधन) या समकक्ष डिग्री अधिमानतः व्यावसायिक और नैदानिक अर्हता के साथ (अधिमानतः चिकित्सा, नर्सिंग या संबद्ध स्वास्थ्य विधाओं में)
- अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में सात साल का अनुभव
- संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव को उचित महत्व दिया जाएगा।
- कई हितधारकों के साथ और एक बहु-विषयक टीम वातावरण में काम करने की क्षमता का प्रदर्शन किया हो

- भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में उल्लिखित कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत अनुसंधान, विश्लेषणात्मक, लेखन और संप्रेषण कौशल के साथ स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूत समझ।
- तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों में दौरा करने के इच्छुक हों और कार्यों को समय से पूरा करने के लिए एक साथ विभिन्न कार्यों के लिए काम करने की क्षमता।

**स्थान**: नई दिल्ली

**पारिश्रमिक सीमा**: प्रतिमाह 90,000/- रूपए से 1,20,000 रूपए के बीच।

4. <u>परामर्शदाता - नर्सिंग</u>

**भूमिकाएं और जिम्मेदारियां**:

परामर्शदाता तकनीकी सलाहकार के समग्र पर्यवेक्षण के तहत और निदेशक / एडीजी (एचआरएच) के साथ निकट समन्वय में, प्रोग्रामेटिक और नीति स्तर पर नर्सिंग कैडर के लिए एचआरएच पहल को मजबूत करने हेतु उपयुक्त रूप में नर्सिंह प्रभाग में कार्य करेगा। परामर्शदाता निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रों पर काम करेगा-

- साहित्य और नीति की समीक्षा, और निम्न के संबंध में अध्ययन-
  - क. नर्सिंग कार्यबल की आवश्यकता (राष्ट्रीय और वैश्विक), प्रवृत्ति विश्लेषण, कार्य अंतरण और साझाकरण तंत्र, साक्ष्य और मसौदा नीति पत्र बनाना;
  - ख. राज्यों में नर्सिंग शिक्षा और नर्सिंग और मिडवाइफरी कार्यबल क्षमता, क्षमता और कौशल मिश्रण पर नीतिगत टिप्पणी तैयार करना;
  - ग. नर्सिंग और मिडवाइफरी व्यवसाय और व्यवसाय प्रैक्टिस के संबंध में विनियम और नीति तथा विभिन्न स्तरों पर नीति को सुद्दढ़ करने के लिए मसौदा नीति टिप्पणी बनाना ।
- नर्सिंग कर्मियों- नर्सिंग शिक्षकों और प्रशासकों, सार्वजनिक स्वास्थ्य-पीएचएन, एएनएम, एलएचवी और अन्य नर्सिंग सेवा कर्मियों की कैडर समीक्षा और प्रबंधन;
- निम्न के संबंध में नर्सिंग कार्यबल डेटा एकत्रण, अनुरक्षण और विश्लेषण करना-

  - घ. विभिन्न स्त्रोतों से पीएचएन, एएनएम, एलएचवी, स्टाफ नर्स, वार्ड सिस्टर, एएनएस, एनएस, मुख्य नर्सिंग अधिकारी आदि के संबंध में स्वीकृत/पदस्थापित नर्सिंग कार्मिकों की संख्या;

ङ. भारतीय नर्सिंग परिषद से पंजीकृत कार्यबल की संख्या;
च. बी.एससी (नर्सिंग), एम.एससी (नर्सिंग), पीएचडी (नर्सिंग), एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग कॉलेज जैसी नर्सिंग शैक्षिक संस्थाओं के साथ-साथ वार्षिक आधार पर उनकी प्रवेश क्षमता;
छ. नर्सिंग शिक्षा संस्था में नर्सिंग शिक्षण संकाय की संख्या के साथ-साथ सभी राज्यों से उनकी विशेषज्ञता।

- देश में नर्सिंग कार्यक्रमों का संचालन करने वाली संस्थाओं के लिए प्रत्यायन मानदंडों को विकसित करने में मदद करने के लिए मानकों की समीक्षा करना;
- सर्वोत्तम प्रैक्टिस (नवाचारों सहित) की मैपिंग करना और एचआरएच संकेतकों के आधार पर राज्य रैंकिंग के लिए साक्ष्य प्रदान करना;
- संबंधित तकनीकी-सचिवीय कार्यों में नर्सिंग प्रभाग का सहयोग करना-

ज. विभाग की योजनाओं का कार्यान्वयन, एसएफसी/ईएफसी/ज्ञापन, मंत्रिमंडलीय टिप्पणी का मसौदा, विभाग की विभिन्न योजनाओं पर टिप्पणी तैयार करना;
झ. अभ्यावेदन, शिकायतों, अदालती मामलों से संबंधित गतिविधियों और आरटीआई आदि पर तकनीकी इनपुट, उन्हें प्रमाणित करना और संबंधित अनुभाग/ डिविजन को प्रस्तुत करना।

- हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करना और नर्सिंग और मिडवाइफरी पर तकनीकी चर्चाओं का समन्वय करना;
- क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने और साझा रणनीतिक अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद, नर्सिंग व्यवसायिक संघों और अन्य संगत हितधारकों के साथ सहयोग करना;
- अनुभाग में सौंपे गए कार्य का समय पर और उचित समापन सुनिश्चित करना;
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य करना।

**अर्हता और अनुभव**

- किसी मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित संस्थान से एमपीएच/ एमबीए/ पीजीडीएम (स्वास्थ्य प्रबंधन) या समकक्ष डिग्री अधिमानतः नर्सिंग में व्यवसायिक और नैदानिक योग्यता के साथ
- अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो से पांच साल अनुभव
- संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव को उचित महत्व दिया जाएगा।
- कई हितधारकों के साथ और एक बहु-विषय टीम वातावरण में काम करने की क्षमता का प्रदर्शन किया हो

- भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में उल्लिखित कार्यों को पूरा करने के लिए सुदृढ़ अनुसंधान, विश्लेषणात्मक, लेखन और संप्रेषण कौशल सहित स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूत समझ।
- तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों के दौरा करने के इच्छुक हों और कार्यों को समय से पूरा करने के लिए एक साथ विभिन्न कार्यों के लिए कार्य करने की क्षमता।

**स्थान**: नई दिल्ली

**पारिश्रमिक सीमा**: रु. 60,000/- से रु. 90,000/- प्रति माह के बीच

5. **<u>सलाहकार चिकित्सा शिक्षा और दंत चिकित्सा –</u>**

**भूमिका और जिम्मेदारियां**:

सलाहकार, तकनीकी सलाहकार के समग्र पर्यवेक्षण के तहत और निदेशक के (एचआरएच) साथ निकट समन्वय में प्रोग्रामेटिक और नीति स्तर पर चिकित्सा और दंत चिकित्सा संवर्ग के लिए एचआरएच पहल को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। सलाहकार निम्नलिखित -विषयगत क्षेत्रों पर काम करेगा

• साहित्य, नीति की समीक्षा और निम्न पर अध्ययन–

क. चिकित्सा और दंतचिकित्सा कार्यबल की आवश्यकता (राष्ट्रीय और वैश्विक), प्रवृत्ति विश्लेषण, कार्य अंतरण और शेयरिंग तंत्र, एकीकृत टीम दृष्टिकोण, साक्ष्य उपलब्ध करना और नीतिगत मसौदा तैयार करना;

.ख राज्यों में चिकित्सा और दंत चिकित्सा शिक्षा और क्षमता योग्यता और कौशल मिश्रण पर नीति नोट तैयार करना;

.ग पेशे और पेशेवर प्रैक्टिस के संबंध में विनियमन और नीति तथा विभिन्न स्तरों पर नीति को मजबूत करने के लिए नीति नोट्स का मसौदा तैयार करना;

• निम्नलिखित के संबंध में चिकित्सा और दंत चिकित्सा कार्यबल डाटा (वार्षिक आधार पर) का मिलान, रखरखाव और विश्लेषण करना–

.कजन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में स्वीकृतपदस्थ पदों/ की संख्या

.ख पंजीकृत कार्यबल की संख्या सांविधिक परिषदों से -

.गवार्षिक आधार पर प्रवेश क्षमता सहित चिकित्सा और दंत चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाएं।

.घसभी राज्यों से संस्थाओं में शिक्षण संकाय की संख्या और उनकी विशेषज्ञता

• देश में शैक्षिक कार्यक्रमों की पेशकश करने वाली संस्थाओं के लिए मानकों की समीक्षा और मान्यता मानदंड विकसित करना;

• सर्वोत्तम कार्यों (नवाचारों सहित) का खाका आरंभ करना और एचआरएच संकेतकों के आधार पर राज्य रैंकिंग के लिए साक्ष्य प्रदान करना;

• संबंधित तकनीकी सचिवालय कार्यों में प्रभाग का-सहयोग करना–

क. विभाग की योजनाओं का कार्यान्वयन, एसएफसीमेमो तैयार करना/ईएफसी/, मंत्रिमंडल टिप्पणी का मसौदा तैयार करना, विभाग की विभिन्न योजनाओं पर टिप्पणी करना;

.ख अभ्यावेदन, शिकायतों, अदालती मामलों से संबंधित गतिविधियों और आरटीआई आदि पर तकनीकी इनपुट, उन्हें विधिमान्य कराना और संबंधित अनुभाग प्रभाग को / प्रस्तुतकरना;

• हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करना और चिकित्सा और दंत चिकित्सा कार्यबल पर तकनीकी चर्चाओं का समन्वय करना

• कार्यबल की मांग और आपूर्ति पक्ष में कमियों, चुनौतियों और संभावित समाधानों की पहचान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ सहयोग करना।

• क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा और साझा रणनीतिक अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने हेतु सांविधिक परिषदों, पेशेवर संघों और अन्य प्रासंगिक हितधारकों के साथ सहयोग करना
• अनुभाग में सौंपे गए कार्य को समय पर और उचित रूप से पूरा करना सुनिश्चित करना;
• सक्षम प्राधिकारी द्वारा समयसमय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य-;

**योग्यता और अनुभव**

• एमपीएचया किसी मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित संस्थान (स्वास्थ्य प्रबंधन) पीजीडीएम/एमबीए/ से समकक्ष डिग्री अधिमानतः चिकित्सा या दंत चिकित्सा में पेशेवर और नैदानिक य ोग्यता
• राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग्यता के बाद दो से पांच साल का अनुभव
• संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव को उचित वरियता दिया जाएगा।
• कई हितधारकों के साथ और एक बहुविषयक टीम वातावरण में- काम करने की क्षमता का प्रदर्शन।
• भूमिका और जिम्मेदारियों में उल्लिखित कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत अनुसंधान, विश्लेषणात्मक, लेखन और संचार कौशल के साथ स्वास्थ्य प्रणाली की गहरी समझ।
• तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों की यात्रा करने की इच्छा और असाइनमेंट के लिए समय सीमा को पूरा करने-हेतु एक साथ विभिन्न असाइनमेंट पर काम करने की क्षमता।

**स्थान**: नई दिल्ली
**पारिश्रमिक सीमा**: प्रति माह 60,000/- रुपये से 1,20,000/- रुपये के बीच।

## 6.परामर्शदाता-सहबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान और फार्मेसी

परामर्शदाता तकनीकी सलाहकार के समग्र पर्यवेक्षण में तथा जैसा भी उपयुक्त हो, उपसचिव के सघन समन्वय में कार्यक्रमागत तथा नीति स्तर पर एएचएस तथा फार्मेसी संवर्ग के लिए एचआरएच पहलों को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करेगा। परामर्शदाता एएचएस तथा फार्मेसी अनुभागों के संयोजन में निम्नलिखित विषय क्षेत्र में कार्य करेगा-:

- साहित्य और नीति की समीक्षा करना तथा निम्नलिखित पर अध्ययन करना
  (क) एएचएस और फार्मेसी कार्यबल अपेक्षा )राष्ट्रीय तथा वैश्विक,( रुझान विश्लेषण, कार्य स्थानांतरण और प्रक्रिया साझा करना, एकीकृत दल का दृष्टिकोण, साक्ष्य तथा प्रारूप नीति दस्तावेज तैयार करना;
  (ख) राज्यों में शिक्षा तथा क्षमतासक्षमता और कौशल मिश्रण संबंधी नीति के नोट्स , ;तैयार करना
  (ग) विनियमन तथा पेशेवर और व्यावसायिक व्यवहार से संबंधित नीति और विभिन्न स्तरों पर नीति को सुदृढ़ करने के लिए नोट्स तैयार करना;
- नेतृत्व को साक्ष्य तथा जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यनीति संबंधी नोट्स तैयार करना;
- निम्नलिखित के बारे में एएचएस तथा फार्मेसी कार्यबल डाटा वार्षिक) आधार पर ( -:बनाए रखना तथा विश्लेषण करना ,समेकित करना
  (क) जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में स्वीकृततैनात पदधारी/
  (ख) सांविधिक परिषद/राज्य परिषदों/संघों से पंजीकृत कार्यबल की संख्या
  (ग) शैक्षिक संस्थाओं तथा पाठ्यक्रमों की वार्षिक आधार पर उनकी दाखिला क्षमता सहित संख्या
  (घ) सभी राज्यों से उनकी विशिष्टता के साथ शिक्षण संस्थाएं तथा संस्थाओं की संख्या
- एएचएस तथा फार्मेसी से संबंधित वैश्विक मानकों की समीक्षा
- उत्तम पद्धत्तियों )नवीनता सहित( की रूपरेखा तैयार करना तथा एचआरएच संकेतकों के आधार पर राज्य की रैंकिंग के लिए साक्ष्य प्रदान करना
- निम्नलिखित से संबंधित तकनीकी सचिवालय में प्रभाग की सहायता करना-:
  (क) विभाग की योजनाओं को लागू करनाज्ञापन/ईएफसी/एसएफसी , तैयार करना, मंत्रिमंडल नोट तैयार करना, विभाग की विभिन्न योजनाओं पर नोट्स तैयार करना
  (ख) अभ्यावेदनों, शिकायतों, न्यायालय मामलों से संबंधित तकनीकी निर्विष्टियों और आरटीआई आदि को अभिपुष्ट कराना तथा संबंधित अनुभागों/प्रभाव को भेजना

- कार्यबल की मांग तथा आपूर्ति में कमियों, चुनौतियों तथा संभावित समाधानों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित राज्य स्तरीय अधिकारियों को सहयोग देना
- हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करना तथा तकनीकी विचार-विमर्श समन्वित करना जैसा भी प्रयोज्य हो
- क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने और कार्यनीतिक अल्पकालिक तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों को साझा करने के लिए सांविधिक परिषदों, व्यावसायिक संघों तथा संगत हितधारकों के साथ सहयोग करना
- अनुभाग में सौंपे पर गए कार्यों को समय पर तथा उपयुक्त रूप से पूरा करने को सुनिश्चित करना
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य

**अर्हता तथा अनुभव**

- किसी मान्यता प्राप्त तथा अधिमानतः व्यावसायिक तथा नैदानिक अर्हता )अधिमानतः सम्बद्ध तथा स्वास्थ्य परिचर्या विषयों अथवा फार्मेसी में( के साथ प्रतिष्ठित संस्थान से एमपीएच/एमबीएपीजीडीजी/एचएम )स्वास्थ्य प्रबंधन( अथवा समकक्ष डिग्री
- राष्ट्रीय स्तर पर लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अर्हता के बाद दो से पांच वर्ष का अनुभव
- संगत क्षेत्र में कार्यानुभव को उचित महत्व दिया जाएगा
- बहुहितधारकों- के साथ तथा बहु-विषयक दल के वातावरण में कार्य करने के लिए प्रदर्शन करने की योग्यता
- भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्व में उल्लिखित किए गए कार्यों को पूरा करने के लिए विशाल अनुसंधान विश्लेषक लेखक तथा संप्रेषण कौशलों के साथ स्वास्थ्य पद्धति की ठोस समझ होना
- तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों की यात्रा करने की तत्परता तथा इसके साथ-साथ सौपे गए कार्यों के समय निर्धारण को पूरा करने के लिए सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करने की योग्यता

**स्थान**: नई दिल्ली

**परिश्रमिक सीमा**: रु. 60,000 से रु. 1,20,000 प्रतिमाह के बीच

**7. इन्टर्न**

**अनुबंध की अवधि: 6 माह तक.**

निम्नलिखित विषयक क्षेत्रों पर कार्य करेगा:

- स्थानीय और वैश्विक साहित्य की समीक्षा, नीति और यथा लागू एचआरएच संबंधी अध्ययनों में सहभागिता
- कार्यबल के आंकड़ों का मिलान और विश्लेषण तथा यथा निर्देशित संवर्ग सं बंधी सूचना
- नीति, स्कीमों आदि से संबंधित टेक्नो-सेक्रेटेरियल कार्य में विभागों (यथा आवंटित) की सहायता
- अनुभाग में सौंपे गए कार्यों का समय पर और उचित ढंग से समापन सुनिश्चित करना,
- हितधारकों के साथ संपर्क और तकनीकी विचार-विमर्श के समन्वय में सहायता
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कोई अन्य कार्य

**अर्हता और अनुभव**

- अनिवार्य: मान्यताप्राप्त और प्रतिष्ठित संस्थान से एमपीएच/एमबीए/पीजीडीएचएम या समतुल्य डिग्री जिसमें व्यवसायिक और नैदानिक योग्यता/स्नातकोत्तर छात्र को वरीयता दी जाएगी
- प्रासंगिक क्षेत्र में कार्य अनुभव वाले अभ्यर्थी को महत्व दिया जाएगा।
- बहु-हितधारकों के साथ और बहु-विषयक समूह के परिवेश में कार्य करने की प्रमाणित क्षमता
- भूमिका और दायित्वों में उल्लिखित कार्यों को पूरा करने के लिए अनुसंधान, विश्लेषणात्मक, लेखन और संपर्क कौशल सहित एनआरएच पर विशेष फोकस करके स्वास्थ्य प्रणाली का पर्याप्त ज्ञान
- हर बार, बिना किसी समझौते के नीति-संबंधी दस्तावेजों की गोपनीयता और संवेदनशीलता बनाए रखना।

**स्थान**: नई दिल्ली

**पारिश्रमिक**: 15,000/-रु. प्रति माह